पत्रांक–10 / स्था0 व्यय आ0–23 / 2025–26 74/31 रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ,
पलामू, गढ़वा, दुमका, जामताड़ा एवं चतरा।

राँची, दिनांक– 15-10-2025

विषयः– स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–2029–भू–राजस्व, लघुशीर्ष–104–सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध, उपशीर्ष–01–राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़नदस्ता एवं सैरात रेमिशन कमिटी सहित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु देशीय यात्रा भत्ता इकाई में कुल ₹15,54,350 /–(रूपये पंद्रह लाख चौवन हजार तीन सौ पचास) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ के पत्रांक–2752 / रा0, दिनांक–04.10.2025 एवं पत्रांक–1934, दिनांक–25.06.2025, उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–2277, दिनांक–16.09.2025 एवं उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक–929, दिनांक–25.08.2025, उपायुक्त, दुमका के पत्रांक–1274 / रा0, दिनांक–10.09.2025, उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक–694, दिनांक–29.08.2025 एवं उपायुक्त, चतरा के पत्रांक–1122 / रा0, दिनांक–05.06.2025 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में देशीय यात्रा व्यय इकाई में कुल ₹15,54,350 /–(रूपये पंद्रह लाख चौवन हजार तीन सौ पचास) मात्र की राशि निम्न अनुसार आवंटित की जाती है :–

जिला का नाम	सरायकेला – खरसावाँ	पलामू	गढ़वा	दुमका	जामताड़ा	चतरा	कुल
DDO Code	SKLDAD 023	PLMDAD 024	GRHLDR 003	DMKDAD 047	JMTDAD 006	CTRLDR 003	
आवंटित राशि	420500	300000	78250	80300	75300	600000	15,54,350/-

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिले के संबंधित डी0डी0ओ कोड में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 / वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322 / वि., दिनांक–28.01.2002, 1800 / वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 338 / बजट, दिनांक–28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5 राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या–40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि

कृ0पृ0उ0

के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

6. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

7. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।

8. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

15/x

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10/स्था0 व्यय आ0–23/2025–26 74/3110 राँची, दिनांक– 15-10-2025

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर समाहर्त्ता एवं जिला कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ, पलामू, गढ़वा, दुमका, जामताड़ा एवं चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/x/xxv

सरकार के सचिव।